कार्यालय पत्रांक 1718033 दिनांक 31-08-2017

पत्र सं0–ज्वा0कमि0(वि0अनु0शा0)/मु0/सं0प0/17–18/ 1442 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।
(वि0अनु0शा0–अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 30 अगस्त,2017

समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1, वाणिज्य कर,
समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0), वाणिज्य कर,
समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य/वि0अनु0शा0/कार्पो0/टैक्स ऑडिट), वाणिज्य कर,
समस्त डिप्टी कमिश्नर/असिस्टेंट कमिश्नर, वाणिज्य कर।

विषयः–उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम–2017 में निरीक्षण, तलाशी और अभिग्रहण सम्बंधी प्राविधान एवं उनका क्रियान्वयन।

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम–2017 की धारा 67 के अन्तर्गत किसी कराधेय व्यक्ति अथवा माल के परिवहन के कारोबार में लगे व्यक्ति अथवा किसी भांडागार या गोदाम के स्वामी अथवा संचालक के व्यापार स्थल अथवा किसी अन्य स्थान के निरीक्षण के प्राविधान किये गये है। उक्त प्राविधानों के अनुसार यदि ज्वाइंट कमिश्नर से अनिम्न स्तर के अधिकारी को यह विश्वास करने का आधार है कि कराधेय व्यक्ति द्वारा माल अथवा सेवाओं अथवा दोनो की आपूर्ति से सम्बन्धित किसी संव्यवहार को छुपाया गया है या अपने पास उपलब्ध माल के स्टॉक को छुपाया गया है अथवा पात्रता से अधिक इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया गया है अथवा करापवंचन के उद्देश्य से इस अधिनियम या इसके अन्तर्गत बनायी गयी नियमावली के किन्ही प्राविधानों का उल्लंघन किया गया है अथवा माल के परिवहन का व्यापार करने वाले व्यक्ति अथवा किसी गोदाम के मालिक या संचालक द्वारा ऐसा माल रखा गया है, जिस पर कर का भुगतान नहीं किया गया है अथवा ऐसी लेखा पुस्तकें या वस्तुएं इस प्रकार रखी गयी है जिससे कि इस अधिनियम के अन्तर्गत करापवंचन होने की सम्भावना है, तब वह लिखित रूप में राज्य कर के किसी अधिकारी को किसी कराधेय व्यक्ति के अथवा माल के परिवहन के व्यापार में लगे व्यक्तियों अथवा किसी भांडागार या गोदाम के स्वामी अथवा संचालक के व्यापार स्थल अथवा अन्य किसी स्थान के निरीक्षण हेतु अधिकृत कर सकते हैं। **उक्त प्राविधानों से यह स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम–2017 के प्राविधानों के अनुसार किसी स्थान का निरीक्षण ज्वाइंट कमिश्नर से अनिम्न स्तर के किसी समुचित प्राधिकारी द्वारा लिखित रूप से अधिकृत किये गये राज्य कर के अधिकारी द्वारा ही किया जा सकता है।** उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम–2017 की धारा 4 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय के **आदेश सख्या–278 दिनांक 01.07.2017** द्वारा धारा 67 के अन्तर्गत ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनुशा0)/कार्यपालक को अपने सम्भाग के अन्तर्गत क्षेत्राधिकार प्रदान करते हुये समुचित प्राधिकारी नामित किया गया है और एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 तथा एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 को धारा 4 के अनुसार पूरे प्रदेश का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। उक्त से स्पष्ट है कि उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम–2017 के अन्तर्गत उपरोक्तानुसार वर्णित किसी स्थल की जाँच उपरोक्त सीमाओं के अन्तर्गत ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0)/कार्यपालक, एडीशनल कमिश्नर (वि0अनु0शा0) ग्रेड–2, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 अथवा कमिश्नर, वाणिज्य कर द्वारा लिखित रूप से अधिकृत किये गये राज्य कर के किसी अधिकारी द्वारा ही की जा सकती है तथा यह अधिकार पत्र सम्बन्धित समुचित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित फॉर्म जी0एस0टी0 आई0एन0एस0–01 में जारी किया जायेगा। उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम–2017

की धारा–67(2) के प्राविधानों के अनुसार जहाँ ज्वाइंट कमिश्नर से अनिम्न स्तर के समुचित प्राधिकारी के पास धारा 67(1) के अधीन किये गये निरीक्षण के अनुसरण में या अन्यथा यह विश्वास करने का आधार है कि जब्ती के लिये दायी कोई माल अथवा दस्तावेज या लेखाबहियां, वस्तुएं जो उसके विचार से इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही हेतु उपयोगी या सुसंगत होंगी, को किसी स्थान पर छिपाकर रखा गया है, वह लिखित में राज्य कर के किसी अधिकारी को तलाशी एवं अभिग्रहण के लिये लिखित रूप से अधिकृत कर सकते है या उपरोक्त ऐसी वस्तुओं, दस्तावेज, लेखाबहियों की तलाशी एवं अभिग्रहण स्वयं कर सकतें है तथा यह लिखित अधिकार पत्र भी फॉर्म जी0एस0टी0 आई0एन0एस0–01 में ही जारी किया जायेगा तथा ऐसे माल तथा दस्तावेजों, लेखाबहियों या वस्तुओं का अभिग्रहण ज्वाइंट कमिश्नर अथवा उससे अनिम्न स्तर के समुचित प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत राज्य कर के अधिकारी द्वारा निर्धारित फॉर्म जी0एस0टी0 आई0एन0एस0–02 में किया जायेगा।

जहाँ किसी माल का अभिग्रहण करना व्यवहार्य नहीं है, वहाँ समुचित प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी माल के स्वामी या अभिरक्षक पर इस आशय का आदेश तामील कर सकेगा कि वह सम्बन्धित अधिकारी की अनुज्ञा के सिवा माल को न तो हटायेगा न अलग कर सकेगा और न ही अन्यथा व्यवहार कर सकेगा। यह आदेश फॉर्म जी0एस0टी0 आई0एन0एस0–03 में जारी किया जा सकेगा।

उपरोक्तानुसार अभिग्रहीत दस्तावेज, लेखाबहियां या वस्तुएं अभिग्रहणकर्ता अधिकारी द्वारा केवल तब तक अपनी अभिरक्षा में रखी जायेंगी जब तक कि वह उनके परीक्षण और इस अधिनियम के अन्तर्गत किसी जाँच या कार्यवाहियों के लिये आवश्यक हो।

उपधारा 2 के अधीन अधिकृत अधिकारी को किसी परिसर के दरवाजे को सील करने अथवा तोड़ने या किसी अलमारी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बॉक्स, सन्दूक जिसमें किसी माल अथवा लेखाबहियों, रजिस्टरों अथवा दस्तावेजों के छिपाये जाने का संदेह हो और ऐसे परिसर, अलमारी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, बॉक्स, सन्दूक तक पहुँचने से रोका जाता है, को तोड़कर खोलने का अधिकार प्रदान किया गया है।

ऐसे दस्तावेज जिस व्यक्ति की अभिरक्षा से अभिग्रहीत किये गये है, उसे दस्तावेजों की प्रतियां अधिकृत अधिकारी की उपस्थिति में उसके द्वारा इस सम्बंध में निर्धारित स्थान व समय पर लेने का अधिकार होगा सिवाय उस स्थिति के जब समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी के मत से ऐसी प्रतियां या उनका उद्धरण दिया जाना जाँच को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा।

उपधारा 2 के अन्तर्गत अभिग्रहीत माल अनन्तिम आधार पर माल के मूल्य के समतुल्य बन्धपत्र एवं देयकर, ब्याज एवं अर्थदण्ड के समतुल्य धनराशि की जमानत बैंक गारण्टी के रूप में दिये जाने पर अवमुक्त किया जा सकेगा तथा यह बन्धपत्र फॉर्म जी0एस0टी0 आई0एन0एस0–04 में लिया जायेगा। नियमावली के प्राविधानों के अनुसार देयकर में केन्द्रीय कर, राज्य कर व सेस सम्मिलित होगा तथा ऐसा माल जिस व्यक्ति के हक में अनन्तिम रूप से अवमुक्त किया गया था, उसके द्वारा यदि समुचित प्राधिकारी द्वारा दी गयी तिथि व स्थान पर उक्त माल प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो बैंक गारण्टी के रूप में जमा जमानत इन्कैश कर ली जायेगी तथा ऐसी वस्तुओं के सम्बंध में देयकर, ब्याज, अर्थदण्ड तथा फाइन यदि कोई हो, के विरूद्ध समायोजित की जायेगी।

जहाँ कोई माल उपधारा 2 के अन्तर्गत अभिग्रहीत किया गया है और उसके सम्बंध में अभिग्रहण की तिथि से 6 माह के अन्दर यदि कोई नोटिस जारी नहीं की जाती है तो ऐसा अभिग्रहीत माल अवमुक्त कर दिया जायेगा, परन्तु पर्याप्त कारण उपदर्शित करने पर इस 6 माह

की अवधि को समुचित प्राधिकारी द्वारा 6 माह से अनधिक की और अवधि के लिये बढाया जा सकता है।

राज्य सरकार द्वारा कतिपय मामलों को शीघ्र नष्ट होनें वाले अथवा खतरनाक प्रकृति का होने अथवा समय के साथ उसके मूल्य में ह्रास होने अथवा उनको रखने के स्थान की उपलब्धता न होने अथवा अन्य किसी कारण से ऐसी वस्तुओं को विनिर्दिष्ट किया जा सकता है, जिनका उपधारा 2 के अधीन अभिग्रहण के उपरान्त यथासम्भव शीघ्र निस्तारण किया जायेगा। जहाँ विनिर्दिष्ट माल किसी समुचित प्राधिकारी अथवा उसके द्वारा अधिकृत अधिकारी द्वारा अभिग्रहीत किया जाता है, वहाँ वह ऐसे माल की सूची (इन्वेट्री) नियम 139(5) की व्यवस्था के अनुसार तैयार करेगा एवं उस व्यक्ति के हस्ताक्षर प्राप्त करेगा जिससे माल अभिग्रहीत किया गया है। नियमावली के प्राविधानों के अनुसार ऐसी स्थिति में जहाँ अभिग्रहीत वस्तुएं शीघ्र नष्ट होनें वाली अथवा खतरनाक प्रकृति की हो और कराधेय व्यक्ति द्वारा ऐसे माल के मूल्य के बराबर अथवा उन पर देयकर, ब्याज एवं अर्थदण्ड के समतुल्य जो भी कम हो, का भुगतान कर दिया जाये तब फॉर्म जी0एस0टी0 आई0एन0एस0–05 के अधीन आदेश पारित करते हुये ऐसी वस्तुओं को अवमुक्त कर दिया जायेगा, किन्तु यदि कराधेय व्यक्ति द्वारा उक्त धनराशि जमा नहीं की जाती है तब कमिश्नर द्वारा ऐसी वस्तुओं का शीघ्र निस्तारण करते हुए उससे प्राप्त धनराशि देयकर, ब्याज, अर्थदण्ड या अन्य किसी राशि के विरूद्ध समायोजित कर ली जायेगी।

तलाशी एवं अभिग्रहण के सम्बंध में दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के प्राविधान इस संशोधन के साथ लागू होंगे कि उक्त संहिता की धारा 165 की उपधारा (5) के अधीन शब्द ''मजिस्ट्रेट'' जहाँ–जहाँ आता है, के स्थान पर ''आयुक्त'' शब्द रख दिया जायेगा।

यदि किसी समुचित प्राधिकारी को यह विश्वास करने का आधार है कि किसी व्यक्ति द्वारा करापवंचन किया गया है अथवा करापवंचन का प्रयास किया जा रहा है, तो वह कारणों को लिखित रूप में अभिलिखित करते हुए ऐसे व्यक्ति की लेखाबहियों, रजिस्टरों या दस्तावेजों जो उसके सामने प्रस्तुत किये जाये, का अभिग्रहण कर सकेगा और उनकी एक रसीद देगा तथा उसके उपरान्त अभिलेखों को जब तक की इस अधिनियम अथवा उसके अधीन निर्मित नियमावली के अन्तर्गत अभियोजन की कार्यवाही के लिये उनकी आवश्यकता हो, रखेगा।

कमिश्नर अथवा उनके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी किसी कराधेय व्यक्ति के व्यापार स्थल से किसी वस्तु या सेवाओं अथवा दोनो की खरीद ऐसे व्यक्ति द्वारा टैक्स इन्वाइस या आपूर्ति के बिलों के जारी करने की जाँच करने के लिये कर सकेगा तथा ऐसी खरीद की गयी वस्तुओं को ऐसे अधिकारी द्वारा वापस करने पर ऐसे कराधेय व्यक्ति अथवा व्यापार स्थल का प्रभारी व्यक्ति ऐसी वस्तुओं के विरूद्ध किये गये भुगतान की धनराशि को वापस करेगा और ऐसी टैक्स इन्वाइस अथवा कर बीजक को निरस्त करेगा।

आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्राविधानों का भली भाँति अध्ययन कर लें तथा भविष्य में किसी व्यापार स्थल, भांडागार, गोदाम अथवा अन्य किसी स्थान की जाँच अथवा तलाशी अधिनियम की धारा 67 एवं नियमावली के नियम 139, 140 एवं 141 में वर्णित प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन करते हुए ही की जायेगी। फॉर्म जी0एस0टी0 आई0एन0एस0–01, 02, 03 जब तक ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है, तब तक क्रमांकित बाइन्डेड बुक से ही जारी किये जायेंगे। इन फॉर्मो के प्रारूप नियमावली के अनुसार छपवाकर उन्हें क्रमांकित करते हुये 50–50 प्रतियां तीन प्रतियों में सम्बन्धित एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–2 (वि0अनु0शा0) द्वारा बाइन्ड करायी जायेंगी एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उपलब्ध करायी जायेंगी। समुचित प्राधिकारी द्वारा जारी अधिकार पत्र के बिना किसी राज्य कर अधिकारी द्वारा कोई जाँच नही की जायेगी तथा जाँच एवं तलाशी के दौरान अभिग्रहण योग्य पाया गया माल अथवा लेखाबहियां, दस्तावेज या अन्य

कोई अभिलेख उपरोक्त प्रक्रिया के अनुसार ही अभिग्रहीत किये जा सकेंगे। जाँच के दौरान यदि कोई माल अभिग्रहीत किया जाता है तो उसे अनन्तिम रूप से माल के मूल्य के समतुल्य बॉन्ड, फॉर्म जी0एस0टी0 आई0एन0एस0–04 मे प्राप्त करने तथा देयकर, ब्याज एवं अर्थदण्ड के बराबर की जमानत बैंक गारण्टी के रूप में जमा कराते हुए माल अनन्तिम रूप से अवमुक्त किया जा सकेगा तथा उपरोक्त वर्णित प्रक्रिया के अनुसार अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्त निर्देशों से अपने अधीनस्थ समस्त अधिकारियों को अवगत कराते हुये इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें।

संलग्नकः–यथोपरि।

30/08/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर वाणिज्य कर/राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ